कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी सहारनपुर।

पत्रांक e-785 /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक 21/01/2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **शासनादेश संख्या–2025/3313/58–1–2025** (1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद सहारनपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रियों के तहत विभागीय वेब साइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों पर परियोजनावार विवरण निम्नवत् है–:

क्रं0 सं0	परियोजना का नाम	आरक्षण की स्थिति				कुल रिक्त पद
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0जाति	अनु0 जनजाति	
1	बलियाखेड़ी	12	01	9	00	22
2	ननौता	11	01	01	00	13
3	रामपुर मनिहारन	04	05	04	00	13
4	सरसांवा	07	05	04	00	16
5	मुजफ्फराबाद	08	08	06	00	22
6	नकुड़	12	05	06	00	23
7	नागल	18	11	05	00	34
8	गंगोह	02	04	01	00	07
9	सढौली कदीम	05	04	05	00	14
10	पुवॉरका	04	03	05	00	12
11	देवबन्द	19	01	07	00	27
12	शहर	31	07	09	00	47
	कुल योग	**133**	**55**	**62**	**0**	**250**

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने-हेतु विशेष निर्देश–:

1. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यार्थी ही पात्र होगें।आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु **न्यूनतम** शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगीं। मेरिट का निर्धारण *इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जाएगा।*
2. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का निवासी होना चाहिये एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की निवासी होना अनिवार्य होगा।
3. आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि 01.07.2026 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होगें। ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र या योग्यता सम्बंधित दस्तावेज किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेगें।
5. विज्ञप्ति पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 11.08.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

वरीयता

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी **गरीबी रेखा** से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यकता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार की अन्य महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता) गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला।
- उपरोक्तानुसार न मिलने पर गरीबी रेखा के उपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।
- उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा।

आरक्षण

- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेगे।

नोट

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाणित नकल ही मान्य होंगें।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
- निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।
- आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा चयन उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र, अभिलेख, घोषणा अथवा अन्य दस्तावेज असत्य, कूटरचित (Fake), छेड़छाड़ किया हुआ (Tampered), मिथ्या तथ्यों पर आधारित, अथवा किसी अक्षम अनधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन/अभ्यर्थिता/चयन **तत्काल प्रभाव से निरस्त** कर दिया जाएगा। यदि नियुक्ति प्रदान की जा चुकी होगी, तो नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त, संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita,2023) तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सक्षम थाना/प्राधिकारी के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध में समस्त विधिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व पूर्णतः संबंधित अभ्यर्थी का होगा।

उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग)कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(दुर्गेश प्रताप सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सहारनपुर।

पृष्ठांकन– तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
4. जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति को न्यूनतम दरो पर दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने तहसील के नोटिस बार्ड पर विज्ञप्ति चस्पा करवाने का कष्ट करें।

6. जिला विकास अधिकारी, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा करवाने का कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि अपने विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा करवाने का कष्ट करें।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद सहारनपुर को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा करवाना सुनिश्चित करें तथा व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।
9. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सहारनपुर।